

Phone No.: 07564-234729
Email: fmti-mp@nic.in



Fax: 07564-234743
Web site: cfmtti.dacnet.nic.in

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMER WELFARE

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म०प्र०) 466445

TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445

(An ISO : 9001-2008 Certified Institute)



फा.सं. 22-23/2014-15 FS

दिनांक : 25.10.2019

:: निविदा की सूचना ::

एतद् द्वारा समस्त सीजनल कृषि कार्य एवं बागवानी व फसल सुरक्षा कार्य के लिये समस्त श्रमिक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान से निम्नलिखित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट, fnttibudni.gov.in से डाउन लोड कर के प्राप्त की जा सकती है अथवा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00-5.00 शाम तक संबंधित अनुभाग (फार्म अनुभाग) से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का विवरण	फाइल संख्या	शासकीय श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर	कार्य हेतु अनुमानित श्रमिकों की संख्या	रिमार्क
01	250 एकड़ एरिया में फार्म पर कृषि कार्य एवं फसल सुरक्षा तथा अन्य कार्य के लिये	फा.सं. 22-23/2014-15 लेबर कार्य-टेका	रु. 347.00	प्रति दिन 20-30 श्रमिक	श्रमिकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

शर्त :-

1. निविदा बंद लिफाफे में तथा उसके ऊपर कार्य क्रमांक एवं फाइल संख्या अवश्य दर्शाये अंतिम तिथि 31.10.2019 के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
2. निविदा की दर प्रति श्रमिक के अनुसार देना होगा । यह दर जनवरी, 2020 तक वैध रहेगी ।
3. उपरोक्त कार्य के लिये समान दर /रेट होने पर एक से अधिक श्रमिक ठेकेदारों को कार्य टेका दिया जा सकता है। तथा रेट के लिए न्यूनतम दर देने वालो को नेगोशियेशन भी किया जा सकता है।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय के पास सुरक्षित है।


25/10/19
(जयबीर सिंह)
शस्य विज्ञानी
कृते निदेशक



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMER WELFARE

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) 466445

TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445

(An ISO : 9001-2008 Certified Institute)



फा.सं. 22-23/2014-15 FS

दिनांक : 25.10.2019

:: निविदा की शर्तें ::

1. निविदा की दर प्रति श्रमिक प्रति माह के अनुसार देना होगा श्रमिकों की संख्या उनकी उपस्थिति भी बिल के साथ कार्यालय के संबंधित अनुभाग को देना होगा। सुरक्षा/अन्य कार्य के लिये कई श्रमिकों को टेका दिया जा सकता है।
2. कार्यालय संबंधित अनुभाग के सुपर विजन में कार्य करना होगा तथा आवश्यकतानुसार अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ानी होगी तो संबंधित अनुभाग टेकेदार को सूचना मौखिक/लिखित रूप से दी जायेगी।
3. निविदा देने वाले टेकेदार के पास पैन कार्ड होना आवश्यक है अन्यथा 20 प्रतिशत राशि बिल राशि से कम करके भुगतान किया जायेगा। पैन कार्ड होने पर 1 प्रतिशत राशि बिल में से कम कर के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम संबंधी नियम स्वयं अर्थात् टेकेदार को पालन करना होगा यदि कोई राज्य/केन्द्र सरकार कोई भी टेक्स राशि देय होगी तो टेकेदार को वहन करना होगा।
5. किसी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
6. श्रमिक शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिये।
7. टेके अवधि समाप्ति के बाद श्रमिक को या टेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार स्थाई नियुक्ति का दावा पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
8. ड्यूटी करते समय यदि कोई अप्रिय घटना घटती है। शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी को क्षति पहुंचती है तो सुरक्षा श्रमिकों अथवा टेकेदार को क्षति पूर्ति के लिए इस संस्थान का कोई भी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगा।
9. यदि आवश्यकता अनुसार कार्य की अधिकता को देखते हुए गुण्यता के आधार पर टेके की अवधि कम या अधिक की जा सकती है।
10. टेकेदार या उसके श्रमिक ड्यूटी के दौरान शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई टेकेदार को वहन करना होगा।
11. यदि टेकेदार का श्रमिक ड्यूटी पर अनुपस्थित या सोता हुआ पाया गया एवं लापरवाही करते पाया जाता है तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जाएगा एवं उस श्रमिक को कार्य से रोका जा सकता है।
12. टेकेदार के श्रमिक की ड्यूटी के दौरान चोरी की वारदात होती है तो उसकी भरपाई भी टेकेदार को वहन करना होगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टेकेदार जिम्मेदार होगा।
13. टेकेदार के द्वारा लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण बायोडाटा कार्य पर लगाने के पूर्व कार्यालय में देना होगा।
14. टेकेदार द्वारा ऐसे ही श्रमिकों को ही लगाया जाएगा जिनका चरित्र ठीक हो और वह अपराधी प्रवृत्ति का न हो तथा उसके विरुद्ध कोर्ट में कोई भी प्रकरण विचारधीन नहीं हो।
15. निविदा दाता एवं उसके किसी भी कर्मचारी के साथ किसी तरह की दुर्घटना अथवा विवाद की स्थिति में निपटान के लिए न्याय क्षेत्र बुदनी न्यायालय ही मान्य होगा।
16. जमानत राशि कमेटी की स्वकृति के समय कमेटी द्वारा निर्धारित जमानत राशि को जमा करना होगा।
17. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संस्थान से कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो टेकेदार को देना होगा।
18. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय के पास रहेगा।

जो भी व्यक्ति सुरक्षा यह कार्य हेतु टेका लेने के इच्छुक हो वे अपना आवेदन डाक द्वारा अथवा निविदा आधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 31.10.2019 तक पहुंचना अनिवार्य है। बाद में प्राप्त आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।


25/10/19

(जयवीर सिंह)
शास्य विज्ञानी
कृते निदेशक

वितरण:-

1. मुख्य कार्यालय, प्रशिक्षण-परीक्षण कार्यालय, मुख्य गेट, कलोनी गेट,
2. नोटिस बोर्ड-नगरपालिका, जनपद कार्यालय रेल्वे स्टेशन, मुख्य बाजार बुदनी (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. वरि. परीक्षण अभियंता - संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए।